

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिलाभिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 207 / 2014

संस्थित दिनांक-23 / 08 / 2013

फाइलिंग नंबर-230303012712013

प्रवेश उर्फ कल्ली पुत्र रामचरन आयु 30 साल

निवासी ग्राम पिपरौली थाना व परगना गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

वि रू द्ध

.....अपीलार्थी / अभियुक्त

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानदास बघेल अपर लोक अभियोजक।

अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक

प्रकरण क्रमांक- 435 / 2006 ई0फौ0 में निर्णय व दण्डाज्ञा

दिनांक 23 / 07 / 2013 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **09 मार्च 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / अभियुक्त प्रवेश उर्फ कल्ली की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद, श्री एस0के0 तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 435 / 2006 ई0फौ0 निर्णय दिनांक-23 / 07 / 2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त / अपीलार्थी को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि अभियुक्त / अपीलार्थी कल्ली उर्फ प्रवेश परिहार मजदूर पेशा है और ग्राम पिपरौली थाना गोहद का निवासी है, ग्राम तेहरा रोड थाना गोहद चौराहे के अंतर्गत आती है और बताया गया घटनास्थल थाने से एक फल्लिंग (करीब 142.8 मीटर) की दूरी पर है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है सूचनाकर्ता निरीक्षक विजय सिंह तोमर जब थाना गोहद चौराहे पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्था था तब दिनांक 08 / 06 / 06 को सुबह करीब 07:00 बजे उसे

दौराने कस्बा भ्रमण मुखबिर द्वारा इस आशय सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम एण्डौरी थाना गोहद चौराहे पर प्रवेश उर्फ कल्ली मिर्धा देशी रिवाल्वर मय कारतूस लिए अपराध करने की नियत से तेहरा रोड पर घूम रहा है, मुखबिर की सूचना पर से वह, प्रधान आरक्षक श्री कृष्ण, प्रधान आरक्षक रामनिवास, आरक्षक जगराम के साथ रवाना होकर तेहरा रोड पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो घेरकर उसे पकड़ा गया तथा उससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रवेश उर्फ कल्ली मिर्धा उम्र 21 साल निवासी पिपरौली थाना गोहद बताया, तलाशी लेने पर उसके पास से एक रिवाल्वर देशी एवं जिंदा कारतूस मिले, जिससे राहगीर सतेन्द्र तोमर के समक्ष लाइसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताया, अभियुक्त को उक्त कृत्य धारा-25/27 आयुध के अंतर्गत निषिद्ध होने से रिवाल्वर एवं कारतूस जब्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात थाना वापिसी पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/06 पर अपराध की कायमी की गई तथा शेष अनुसंधान पूर्ण किए जाने के उपरान्त अभियोगपत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है और तात्विक विसंगतियों तथा विरोधाभाषों को अनदेखा करते हुए विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाते हुए और पत्रावली के विरुद्ध आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अधिरोपित की है, जबकि घटनास्थल के स्वतंत्र व पंचसाक्षी गंगाराम अ0सा0-02 और सतेन्द्र सिंह अ0सा0-03 के द्वारा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। यह आधार भी लिया है, कि शेष साक्षी पुलिस के ही शासकीय सेवक हैं और उनके कथनों में गंभीर विरोधाभाष आए हैं, अ0सा0-02 व अ0सा0-03 ने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति ही नहीं बताई है, पुलिस आरक्षक जगराम सिंह अ0सा0-01 ने जब्तीपत्रक पर अपने हस्ताक्षर से इन्कार किया है, मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-डी-5930 के बारे में जानकारी से इन्कार किया है, जो मेहताब सिंह के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त की गई थी, रामनिवास अ0सा0-07 घटनास्थल पर सुबह करीब 06:00 बजे सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति बताता है, जबकि अन्य साक्षी सुबह 07:00 बजे की उपस्थिति बताते हैं और रवानगी वापसी का कोई रोजनामचा सान्हा ही प्रकरण में पेश

नहीं किया गया है, न ही जब्तशुदा आग्नेय शस्त्र न्यायालय में पेश किया गया है, अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी अवैध होकर अभियोजन को बल प्रदान नहीं करती है, इसे भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है, अ0सा0-07 को यह जानकारी तक नहीं है, कि अभियुक्त कहां का रहने वाला है, उसके पिता का क्या नाम है, जबकि मौके पर अभियुक्त का नाम पता कार्यवाही कर्ता टी0आई0 विजय सिंह तोमर अ0सा0-06 के द्वारा पूछना कहा गया है, आग्नेय शस्त्र की प्रकृति के बारे में अभियोजन साक्षियों में विरोधाभाष की स्थिति है, इसे भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मूल्यांकित न कर और उसके संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं देते हुए, विधि विरुद्ध तरीके से आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डाज्ञा पारित की है, जो कतई पुष्टि योग्य नहीं है, इसलिए प्रस्तुत दांडिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए और जमा अर्थदण्ड वापिस दिलाया जाए।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एवं विश्लेषण

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत मौखिक अंतिम तर्कों में अपील ज्ञापन में लिए गए आधारों अनुरूप तर्क करते हुए यह व्यक्त किया है, कि घटना का स्वतंत्र व पंचसाक्षी गंगाराम अ0सा0-02 और सतेन्द्र सिंह अ0सा0-03 ने कोई समर्थन नहीं किया है, शेष परीक्षित साक्षी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी होकर हितबद्ध है और उनके कथनों में प्रत्येक बिन्दु पर गंभीर विरोधाभाष है, जो हथियार जब्त बताया गया है, उसे न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तथा मुखबिर की सूचना पर मौके पर जाने, कार्यवाही करने और वापिसी संबंधी कोई रोजनामचा सान्हा भी पेश नहीं किया गया है, अ0सा0-01 और अ0सा0-06 देशी रिवॉल्वर की जब्ती बताते हैं, जबकि साथ में जाना बताया गया है, आरक्षक रामनिवास दीक्षित अ0सा0-07 और ए0एस0आई0 रामनिवास अ0सा0-08 कट्टा जब्त होना बताते हैं, कट्टा और रिवॉल्वर दोनों भिन्न हथियार हैं, अ0सा0-08 तो 315

बोर का कट्टा बताता है, जबकि जिस कट्टे की जांच कराई गई है, वह आरक्षक आर्म्स मुहर्रर अ०सा०-०५ के कथन अनुसार ३२ बोर की देशी रिवॉल्वर थी, जो कि गंभीर विसंगति है और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए अभियोजन का मामला संदिग्ध है। अभियोजन स्वकृति भी वैधानिक नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और केवल इस आधार पर दोषसिद्धि कर दी कि पुलिस साक्षियों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, जो निष्कर्ष विधि विरुद्ध है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया जाए और जमा अर्थदण्ड वापिस दिलाया जाए।

9. विद्वान ए०जी०पी० ने अपने खण्डन तर्कों में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए, यह तर्क किया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गए पुलिस साक्षियों को विश्वसनीय मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करने योग्य न होने के संबंध में न्याया दृ० भी अपने निर्णय में उल्लेखित किए हैं और विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले हैं, जो बिन्दु अपील स्तर पर अपीलार्थी की ओर से उठाए गए हैं, उन्हें विचारण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया गया है, इसलिए उनका कोई विधिक मूल्य नहीं है और अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जाकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को स्थिर रखा जाए।

10. दण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम०पी० विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल २००६ फर्स्ट विधि भास्कर (एस०सी०) पेज-०१ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय तथा मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया अभियोजन के मूल कथानक मुताबिक दिनांक ०८/०६/०६ को सुबह के समय जब तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह तोमर अ०सा०-०६ मय पुलिस बल के कस्बा भ्रमण में था, तब उसे मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि तेहरा रोड पर अभियुक्त/अपीलार्थी अपराध कारित करने की नियत से देशी रिवॉल्वर मय कारतूस लिए घूम रहा है, तो वह सूचना की तस्दीख के लिए बताए गए स्थान पर गया था तो वहां पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा था, जिसे छेराबंदी करके पकड़ा गया था पूछताछ की तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना नाम पता बताया, तलाशी लिए जाने पर उसकी दाहिनी तरफ पेंट में एक देशी रिवॉल्वर मय जिंदा कारतूस के मिली थी, जिसे रखने का लाइसेंस न होने पर उसने कार्यवाही राहगीर गंगाराम व सतेन्द्र सिंह तोमर के समक्ष की, पुलिस बल में आरक्षक जगराम सिंह, प्रधान आरक्षक श्रीकृष्ण और रामनिवास का भी

साथ में जाना बताया गया है।

12. इस प्रकार से उपरोक्त पांचों पुलिस अधिकारी कर्मचारी प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व के साक्षी हो जाता है, अभियोजन की ओर से उन्हें विचारण के दौरान परीक्षित भी कराया गया है, किंतु मौके पर की गई जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही का पंचसाक्षी गंगाराम अ0सा0-02 और सतेन्द्र अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है, दोनों ने ही इस बात से इन्कार किया है, कि उनके सामने अभियुक्त प्रवेश उर्फ कल्ली को पकड़ा गया और उससे देशी रिवॉल्वर काठ की बेंटी लगी हुई, मय एक जिंदा कारतूस के जब्त की गई थी। उक्त दोनों साक्षियों ने जब्तीपत्रक प्र0पी0-01, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-02 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए हैं, गंगाराम ने प्र0पी0-03 और सतेन्द्र सिंह ने प्र0पी0-04 के पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है अभियोजन द्वारा उक्त दोनों साक्षियों को पक्षविरोधी भी घोषित किया गया है तथा पूछे गए सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन कथानक के संबंध में कोई समर्थनकारी साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दी गई है, ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों का कोई समर्थन न होना प्रमाणित होता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों साक्षियों के संबंध में यह निष्कर्ष अवश्य दिया है, कि उक्त दोनों का समर्थन नहीं है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस साक्षियों पर आलोच्य निर्णय में उल्लेखित न्याय दृष्टांतों का सहारा लेते हुए, उन्हें विश्वसनीय निष्कर्षित किया है, चूंकि प्रकरण में शेष साक्षी शासकीय सेवक और पुलिस साक्षी है, ऐसे में यह देखना होगा कि उनकी साक्ष्य किस स्वरूप की है, विश्वसनीय है, या नहीं।
13. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय की कण्डिका 21 लगायत 25 में न्याय दृ० कमरजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ देहली एडमिनिस्ट्रेशन (2003) वॉल्यूम-05 एस0सी0सी0 297 तथा न्याय दृ० बाबूलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2004 भाग-02 जे0एल0जे0 पेज-425, कालेबाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2008 भाग-04 हाईकोर्ट टुडे 397 के आधार पर पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को विश्वसनीय ठहराया है और यह निष्कर्ष दिया है, अ0सा0-01 व अ0सा0-03 लगायत अ0सा0-09 की साक्ष्य कोई सारवान विरोधाभासी तथ्य न आने से विश्वसनीय है और तात्विक विसंगति नहीं है। इस अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्षित करना होगा, कि क्या उक्त अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि और साक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं।
14. आरक्षक आर्म्स मुहर्नर राजकिशोर सिंह अ0सा0-05 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में थाना गोहद चौराहे के अपराध क्रमांक 103/06 धारा-25, 27 आयुध अधिनियम में जब्त कर उसके समक्ष जांच हेतु भेजे गए आग्नेय शस्त्र का परीक्षण कर प्र0पी0-05 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है और उक्त साक्षी के मुताबिक जो आग्नेय शस्त्र उसकी ओर जांच हेतु भेजा गया था, वह 32 बोर की देशी रिवॉल्वर थी, जो कारतूस भेजा गया था, वह भी 32 बोर का उसने जीवित हालत में बताया है, उसके अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई

तथ्य नहीं आए हैं, जिससे यह तो प्रमाणित होता है, कि उक्त आरक्षक आर्म्स मुहर्रर के समक्ष भेजा गया आग्नेय शस्त्र 32 बोर की देशी रिवॉल्वर और जीवित कारतूस था, किंतु वही 32 बोर की देशी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस अभियुक्त/अपीलार्थी से जब्त किया गया यह प्रमाणित नहीं होता है, तब तक उक्त जांच रिपोर्ट का महत्व नहीं है।

15. प्रकरण में सर्वाधिक महत्व का साक्षी निरीक्षक विजय सिंह तोमर अ0सा0-06 है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08/06/06 को थाना गोहद चौराहे में थाना प्रभारी के पद पर रहते हुए कस्ब भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना मिलने पर तेहरा रोड पर मय पुलिस बल के पहुंच कर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति के भागने पर उसे घेराबंदी करके पकड़ना कहा है, नाम पता पूछने पर अभियुक्त/अपीलार्थी का पकड़ा जाना भी कहा है, जिसकी तलाशी सदेह के आधार पर लेने पर पेंट में दाईं तरफ एक देशी रिवॉल्वर एक जिंदा कारतूस उस पर मिलने और लाइसेंस चाहने पर कोई लाइसेंस न होना पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए आग्नेय शस्त्र को प्र0पी0-01 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त करना तथा अभियुक्त को प्र0पी0-02 का गिरफ्तारीपत्रक बनाकर गिरफ्तार करना कहा है और उसे पुलिस बल की सहायता से थाने लाकर उसके विरुद्ध प्र0पी0-06 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है, जो पुलिसकर्मी उसके साथ गए थे, उनमें कथानक अनुसार प्रधान आरक्षक श्रीकृष्ण और रामनिवास, आरक्षक जगराम सिंह बताए गए हैं।

16. अ0सा0-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है, कि वह थाने से कस्बा भ्रमण के लिए उक्त घटना दिनांक को कितने बजे रवाना हुआ था, कितने बजे अभियुक्त को पकड़ा, मौके पर कितने समय रुककर कार्यवाही की, कब थाने पर वापिस आए तथा उसके अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, कि जो आग्नेय शस्त्र देशी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस वह अभियुक्त/अपीलार्थी से बरामद होना बता रहा है, उसका बोर क्या था, जबकि निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी इतना ज्ञान तो रखता है, कि जब आग्नेय शस्त्र का बोर क्या है, उसने यह स्वीकार किया है, कि एफ0आई0आर0 में रिवॉल्वर लोडेड थी, ऐसा उल्लेख नहीं है, जबकि वह रिवॉल्वर को लोडेड अपने अभिसाक्ष्य में पकड़ना बताता है, इस बात से इन्कार किया है, कि अभियुक्त को मजदूरी करने जाते समय गलत रूप से गिरफ्तार कर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, वह एफ0आई0आर0 की प्रति न्यायालय को भेजने की बात भी बताता है, इस तथ्य की जानकारी से इन्कार करता है, कि अभियुक्त मालनपुर में फेक्ट्री में नौकरी करता था और मजदूरी के लिए रोज आता जाता था, तथा घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-डी-5930 मॉडल 1993 से जा रहा था, जो मेहताब सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी भोंडेरी थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर की थी, उक्त मोटरसाइकिल उक्त अपराध में जब्त किए जाने से वह इन्कार करता है।

17. आरक्षक जगराम सिंह भदौरिया अ0सा0-01 ने अपने मुख्यपरीक्षण के अभिसाक्ष्य में अ0सा0-06 अनुरूप ही साक्ष्य दी है और हमराह पुलिस बल

के रूप में साथ होना बताता है और जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके सामने होना कहता है, किंतु प्र0पी0-01 एवं 02 पर हस्ताक्षर न होना कहता है, उसके मुताबिक अभियुक्त की गिरफ्तारी सात सवा सात बजे की गई थी और पांच मिनट पहले जब्ती की गई थी, उसे थाने से खानगी के समय की जानकारी नहीं है, उक्त साक्षी ने भी देशी रिवॉल्वर और कारतूस जब्त होना बताया है, उसका कोई बोर नहीं बताया है, जबकि अन्य पुलिस कर्मचारी तत्कालीन आरक्षक रामनिवास दीक्षित अ0सा0-07 जिसे भी पुलिस बल में साथ जाना बताया है, उसने थाने से सुबह छः बजे दरोगाजी विजय सिंह तोमर के साथ कस्बा भ्रमण के लिए साथ जाना कहा है और रामनिवास, श्रीकृष्ण तथा जगराम सिंह का भी साथ में जाना बताया है, तथा यह कहा है, कि जब वह चौराहे पर खड़ा था तब मुखबिर की सूचना दरोगाजी को प्राप्त हुई थी, तब वह गया था और चौराहे पर स्टेशन रोड पर गश्त पर थे, अभियुक्त को वह थाने से 100-150 मीटर की दूरी पर पकड़ना बताता है, उस समय वह पैदल था, इस बात से वह इन्कार करता है, कि उसने प्र0डी0-01 का कथन देते समय अभियुक्त को मोटरसाइकिल से आते हुए देखना बताया था।

18. अ0सा0-07 के पुलिस कथन प्र0डी0-01 में अभियुक्त के पास मोटरसाइकिल का उल्लेख नहीं है, पुलिस कथन के उक्त आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से प्रदर्शित किया है, क्योंकि मोटरसाइकिल का पुलिस कथन में उल्लेख न होने पर कोई विरोधाभाष नहीं था, ऐसे में पुलिस कथन प्रदर्श अंकित किए जाने योग्य नहीं था, बल्कि पुलिस कथन प्र0डी0-01 में रिवॉल्वर और कारतूस जब्त होना बताया है, जबकि अ0सा0-07 न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कट्टा बताता है, यह तात्त्विक विरोधाभाष अवश्य था, जिस पर उससे कोई सूचक प्रश्न नहीं पूछा गया है, आयुध अधिनियम के अपराध के लिए आग्नेय शस्त्र की स्थिति स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है। रिवॉल्वर एवं कट्टा भिन्न भिन्न आग्नेय शस्त्र होते हैं और अ0सा0-01 व अ0सा0-06 तो देशी रिवॉल्वर बता रहा है, जबकि अ0सा0-07 और अ0सा0-08 देशी कट्टा बता रहे हैं, जो सभी एक साथ मौके पर जाना कहते हैं, ऐसे में वास्तविकता में कौन सा आग्नेय शस्त्र अभियुक्त/अपीलार्थी से बरामद हुआ था, इसे स्थापित करने के लिए जब्त आग्नेय शस्त्र को साक्ष्य के दौरान पेश किया जाना अत्यन्त आवश्यक था, जबकि अभियोजन की ओर से प्रकरण में कोई आग्नेय शस्त्र साक्ष्य में आर्टीकल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्र0पी0-05 की रिपोर्ट मुताबिक 32 बोर की देशी रिवॉल्वर बताई गई है, अ0सा0-01 और अ0सा0-06 केवल रिवॉल्वर कहते हैं, अ0सा0-07 और अ0सा0-08 कट्टा बताते हैं, यह गंभीर विरोधाभाष है और जब्तीपत्रक को पंचसाक्षियों का समर्थन न होने से आग्नेय शस्त्र के संबंध में गंभीर विरोधाभाष उत्पन्न हो जाता है, तथा आग्नेय शस्त्र साक्ष्य में पेश न होने से यह भी संदेह उत्पन्न होता है, कि जो आग्नेय शस्त्र पकड़ना बताया गया है, वह आयुध अधिनियम 1959 की धारा-03 की परिधि के अंतर्गत आता भी था, या नहीं यही सिद्ध नहीं है और अ0सा0-07 एवं अ0सा0-08 को देशी कट्टा बताए जाने के बिन्दु पर

अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित नहीं किया गया है, जिससे उत्पन्न विसंगति तात्त्विक स्वरूप की होकर बिना स्पष्टीकरण के है, ऐसे में अ0सा0-01, अ0सा0-06, अ0सा0-07 और अ0सा0-08 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय आग्नेय शस्त्र के संबंध में नहीं माना जा सकता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष निकालते समय कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कोई तात्त्विक विसंगति नहीं आई है और विरोधाभास नहीं है अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय कण्डिका 24 का निष्कर्ष पुष्टि योग्य नहीं है।

19. तत्कालीन प्रधान आरक्षक रामनिवास अ0सा0-08 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने तो अपने अभिसाक्ष्य में यहां तक बताया है, कि अभियुक्त से 315 बोर का कट्टा मिला था, जबकि अभियोजन के कथानक मुताबिक देशी रिवॉल्वर बरामद हुई कोई 315 बोर कट्टा नहीं मिला, इससे ही अ0सा0-08 का अभिसाक्ष्य पूर्णतः अग्राह्य किए जाने योग्य हो जाता है, क्योंकि उसे भी अभियोजन द्वारा 315 बोर का कट्टा बताए जाने पर पक्षविरोधी घोषित नहीं किया है और इस तरह से अ0सा0-08 का तो कोई समर्थन ही प्राप्त नहीं है।

20. इस प्रकार से अ0सा0-07 और अ0सा0-08 का अभिसाक्ष्य तो पूर्णतः अग्राह्य किए जाने योग्य है, यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है, कि भारतीय परिवेश दाण्डिक विचारण में यह सूक्ति कि एक बात मिथ्या तो सब बात मिथ्या लागू नहीं होती है, तथा किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 में स्पष्ट उपबंध है, इस दृष्टि से जगराम सिंह अ0सा0-01 और मौके की कार्यवाही करने वाले निरीक्षक विजय सिंह तोमर अ0सा0-06 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उनके कथनों की पुष्टि के लिए कस्बा भ्रमण के लिए थाने से जाते समय अंकित की गई रोजनामचा सान्हा रवानगी, तथा मौके की कार्यवाही पश्चात थाने आकर रोजनामचा सान्हा में दर्ज की गई आमद को कार्यवाही की निष्पक्षता सिद्ध किए जाने हेतु पेश किया जाना चाहिए था, जिसे न तो पेश किया है, न ही प्र0पी0-06 की एफ0आई0आर0 में कोई रोजनामचा सान्हा का उल्लेख है, जबकि जिस प्रकार से कार्यवाही बताई गई है, उस हिसाब से तो रवानगी और वापिसी पश्चात एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी पेश न किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस साक्षियों को विश्वसनीय ठहराते समय इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया है, जो कि विधिक रूप से आवश्यक था, संपूर्ण अनुसंधान में किसी भी साक्षी के पुलिस कथन में जब्त किए गए आग्नेय शस्त्र 32 बोर की रिवॉल्वर थी, ऐसा नहीं कहा गया है, कारतूस लोडेड था, या नहीं यदि लोडेड नहीं था तो वह अभियुक्त के शरीर पर से किस भाग से प्राप्त हुआ, इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, यह भी संदेह उत्पन्न करता है, कोई नजरी नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है और मौके की कार्यवाही के समय के बारे में अ0सा0-01 और अ0सा0-06 का अभिसाक्ष्य मौन रूप में

है, ऐसे में उन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित न्याय दृ० के आधार पर भरोसा करके विधिक भूल की गई है, क्योंकि न्याय दृ० एक सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं और कोई भी न्याय दृ० प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर प्रयोज्य होते हैं, जो विसंगतियां अभिलेख पर विद्यमान हैं उस ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ही नहीं दिया है, न ही उन्हें निष्कर्ष निकालते समय मूल्यांकन में लिया है।

21. ऐसे में इस न्यायालय के मत में अ०सा०-०१ और अ०सा०-०६ का अभिसाक्ष्य भी कतई विश्वसनीय नहीं ठहराए जा सकते हैं, जिससे प्र०पी०-०१ का जब्तीपत्र ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, जबकि आयुध अधिनियम १९५९ की धारा-०३ के उल्लंघन संबंधी धारा-२५(१-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए आयुध अधिनियम अवैध आग्नेय शस्त्र की अभियुक्त के एकाकी आधिपत्य व संज्ञान से बरामदगी संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक होती है, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है, जहां तक अभियोजन स्वीकृति का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका २५ में उल्लेखित न्याय दृ० **शिवराज सिंह यादव विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० २०१० भाग-०४ एम०पी०जे०आर० ४९ (डी०बी०)** के आधार पर स्वीकृत लोकदस्तावेज मानते हुए उसे प्रमाणित माना है, उक्त न्याय दृ० में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए डी०एम० की साक्ष्य में आवश्यकता न होने का मार्गदर्शन दिया गया है, किंतु अभियोजन स्वीकृति स्वमेव प्रमाणित नहीं होती है, उसे अभियोजन को प्रमाणित करना होता है और अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आयुध अधिनियम १९५९ की धारा-३९ के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना होता है, कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक विवेक का उपयोग किया गया अथवा नहीं।

22. इस संबंध में परीक्षित साक्षी दिनेश शर्मा अ०सा०-०९ की अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने दिनांक २०/०६/०६ को कार्यालय कलेक्टर भिण्ड में सहायक ग्रेड-०३ के रूप में पदस्थ रहते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा थाना गोहद चौराहे के अपराध क्रमांक १०३/०६ धारा-२५, २७ आयुध अधिनियम में अभियुक्त प्रवेश उर्फ कल्ली पुत्र रामचरण निवासी पिपरौली थाना गोहद से जब्त देशी रिवाल्वर व जीवित कारतूस अवैध रूप से रखे पाए जाने के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री आर०ए० खण्डेलवाल के द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-०७ प्रदान करना बताते हुए प्र०पी०-०७ पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर अधीनस्थ रहने से पहचानना बताया है और उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है, प्रतिपरीक्षा में कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं, अपील स्तर पर उसे अपीलार्थी की ओर से चुनौती दी गई है और वैधानिक रूप से अभियोजन स्वीकृति न होना बताया है।

23. प्र०पी०-०७ की अभियोजन स्वीकृति का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है, कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड श्री आर०ए० खण्डेलवाल द्वारा थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक १०३/०६

अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध उसके कब्जे से एक देशी रिवॉल्वर व एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से रखे पाए जाने से अभियोजन चलाने की स्वीकृति उक्त अपराध से संबंधित केशडायरी एवं शस्त्र के अवलोकन पश्चात प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया है, किंतु उक्त अभियोजन स्वीकृति में भी देशी रिवॉल्वर का ही उल्लेख है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि जो रिवॉल्वर पेश की गई थी, वह 32 बोर की थी, जबकि प्र0पी0-05 की जांच रिपोर्ट उसके पूर्व की है और जिला मजिस्ट्रेट को आग्नेय शस्त्र के बारे में और उसके बोर संबंधी ज्ञान होता है, अभियोजन स्वीकृति में बोर का उल्लेख न होना रिवॉल्वर कितने राउण्ड वाली थी, इसका भी उल्लेख न होने से यह परिलक्षित होता है, कि अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है और आग्नेय शस्त्र का परीक्षण या अवलोकन नहीं किया है, ऐसे में प्र0पी0-07 की अभियोजन स्वीकृति मात्र औपचारिकतापूर्ति करने वाली ही दर्शित होती है, यह भी संदेह उत्पन्न करती है।

24. अ0सा0-06 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में मौके पर प्र0पी0-01 मुताबिक जो देशी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस जब्त करना बताया है, वह शीलबंद किया गया या नहीं इस बारे में भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है और प्र0पी0-01 का कॉलम नंबर 13 की विधिक पूर्ति भी नहीं की गई है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे दोषपूर्ण हैं, उन्हें विधिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, न ही पुष्ट किया जा सकता है, ऐसे में प्रस्तुत दाण्डिक अपील में उठाए गए बिन्दु और लिए गए आधार विधिक बल रखते हैं और दाण्डिक अपील उक्त स्थिति में स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है, क्योंकि कोई विश्वसनीय और सुदृढ़ साक्ष्य अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे होना नहीं पाई गई है, फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांकित 23/07/13 को अपास्त किया जाता है और अभियुक्त/अपीलार्थी प्रवेश उर्फ कल्ली को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-बी)(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त/अपीलार्थी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

26. अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया 5,00/-रुपए का अर्थदण्ड निगरानी/अपील अवधि पश्चात उसे विधिवत वापिस दिलाया जाए। निगरानी होने की दशा में माननीय निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।

27. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब्त बताए गए आग्नेय शस्त्र का धारा-452 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कोई अंतिम निराकरण आलोच्य निर्णय में

नहीं किया है, जो कि अनिवार्य है, जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाए, आग्नेय शस्त्र का अपील स्तर पर भी निराकरण किया जा सकता है, अतः जब्त बताए गए आग्नेय शस्त्र के संबंध में यह आदेश दिया जाता है, कि जब्तशुदा बताई गई देशी रिवॉल्वर मय जीवित कारतूस के निगरानी अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जाए, अपील/निगरानी होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार निराकरण हो।

28. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

29. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जाए।

दिनांक: 09 / 03 / 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)